JINDAL

जिंदल सॉ लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: ए-1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403

सीआईएन: एल27104यूपी1984पीएलसी023979

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषय : कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकारण में अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 07 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में जारी की जा रही है, जो उन सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) को अंतरित करने के संबंध में है, जिनके लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से नहीं किया गया है अथवा जिनके लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, कम्पनी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु सूचना प्रेषित कर चुकी है, जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकारण को अंतरित किए जाने के भागी हैं।

संबंधित शेयधारक, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी हैं, ध्यान दें कि कम्पनी शेयरों का अंतरण आईईपीएफ प्राधिकारण को करने के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर पुष्टि पत्र जारी करेगी तथा पुष्टि पत्र जारी किए जाने पर उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द मान्य होंगे। इसी प्रकार से डीमैट रूप में धारित शेयर भी शेयरधारकों की ओर से कम्पनी अधिकारी द्वारा डीमैट स्लिप पर हस्ताक्षर करने द्वारा आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए जाएंगे। शेयरधारक इसके अतिरिक्त नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए गए अदावित शेयर तथा उन पर उद्भूत सभी लाभ, नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

अतएव, आपको सूचना दी जाती है कि 2016-2017 से अपना अदत्त/अदावित लाभांश तत्काल मांग लें अथवा कम्पनी को लिखें। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारक से 23 अक्टूबर, 2024 तक अथवा कम्पनी द्वारा आगे बढ़ाई गई तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, नियमों का अनुपालन करने के लिए, शेयर नियत तिथि तक आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित कर दिए जाएंगे।

उपरोक्त नियमों की प्रति संबंधित शेयरधारकों तथा आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों के विवरण सहित कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट (www.jindalsaw.com) पर अपलोड की जा चुकी है। आप इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

यदि शेयरधारकों को विषयगत मामले तथा नियमों के बारे में कोई संदेह है, तो वे कम्पनी सेक्रेटरी, जिंदल सॉ लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन : 011-011-61462259, 011-61462237, ई-मेल: investors@jindalsaw.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

वास्ते जिंदल सॉ लिमिटेड

सुनिल के. जैन

कम्पनी सचिव

एफसीएस : 3056

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28.08.2024